न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 68 / 2020

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 22 / 09 / 2020

निर्णय दिनांक : 01/03/2021

गोपाल पुत्र मूल्या, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रार्थी

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. हनुमान पुत्र कल्याण, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
3. रामनारायण पुत्र छीतर, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
4. कैलाश पुत्र छीतर, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
5. छोटु पुत्र मुल्या, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
6. बंशी पुत्र मुल्या, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
7. भंवर पुत्र सुवा, जाति जाट निवासी मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
8. भागीरथ पुत्र कल्याण, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
9. मोतीलाल पुत्र लालाराम, जाति जाट निवासी बम्बौरिया की ढाणी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
10. श्योजीराम पुत्र मूल्या, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

सहायक कलक्टर

(फास्ट ट्रेक), दूदू

11. श्रीलाल पुत्र कल्याण, जाति जाट निवासी बम्बोरियों की ढाणी तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
12. तहसीलदार महोदय, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

-- अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री मुकेश चौधरी
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

श्री प्रहलाद कडवा
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7 व 9
श्री पन्नालाल चौधरी
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4

अप्रार्थी संख्या 1, 5, 6, 8, 10 व 11 के
विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 01/03/2021

– निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 के आराजी खाता संख्या 329 की आराजी खसरा नम्बर 74 रकबा 0.0300 हैक्टेयर गै.मु.बाडा वाके ग्राम कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 में स्थित हैं, जिसके प्रार्थी व अन्य खातेदार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। उपरोक्त आराजीयात प्रार्थी व अन्य खातेदारान की रिकार्डेड खातेदारी की आराजीयात है, लेकिन उक्त खसरा नम्बर 74 जो कि काफी बडा रकबा था जिसका खातेदारान के मध्य तकासमा व तरमीम हुआ, उस वक्त सभी खातेदारान के मध्य सहमति से यह तय हुआ था कि उक्त भूमि विगत 60 सालों से मौके पर कदीमी रास्ते के रूप में नेशनल हाईवे नम्बर 8 से बम्बोरियेां की ढाणी तक उपयोग उपभोग में आ रही है, इसलिये उक्त खसरा नम्बर 74 रकबा 0.0300 हैक्टेयर की भूमि में से 30 फुट चौडा रास्ता एन एच 8 से बम्बोरियेां की ढाणी तक जाने के लिये जो मौके पर कदीमी रास्ता था के रूप में सहमति से रखते हुये तरमीम कटवायी थी। अन्य खातेदारी पर सभी काश्तकार अपने–अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त सहमति के फलस्वरूप खसरा नम्बर 74 का विभाजन व तरमीम हो

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) सूद

गया तथा उसी अनुसार मौके पर सभी खातेदारान काबिज काश्त हो गये तथा उक्त 0.0300 हैक्टेयर भूमि को सभी खातेदारान रास्ते के रूप में उपयोग में लेते आ रहे है, जिसको सभी काश्तकार मिलकर गै.मु. रास्ता दर्ज करवाना चाहिये था लेकिन वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 की नियत में फितुर उत्पन्न होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ल. 4 उक्त रास्ते की भूमि को अप्रार्थी संख्या 12 से मिलकर उक्त रास्ते की चौडाई जो मौके पर 30 फुट है की तरमीम को निरस्तर करवाकर रास्ते को घटाकर 8 फुट करना चाहते है, जिससे कि ग्राम बम्बोरियों की ढाणी में रहने वाले सभी आम जनों को काफी समस्या का सामना करना पडेगा। कानूनन उक्त रास्ते को जो कि रास्ते के सुखाधिकार के उपयोग में आ रहा है, जो कानूनन भी गै.मु. रास्ता दर्ज होना चाहिये, अप्रार्थीगण को रास्ते की चौडाई कम करने का किसी प्रकार का कोई कानूनन हक व अधिकार नही हैं। उक्त जमीन में सभी खातेदारो की सहमति से उक्त रास्ता छोडा गया था जिसको बन्द करने का किसी भी खातेदार को कोई अधिकार नही हैं। उक्त खसरा नम्बर 74 मौके पर रास्ता है एवं नक्शे में भी रास्ते के रूप में ही तरमीम हो रखी है जिससे भी साबित है कि उक्त खसरा नम्बर हमेशा रास्ते के रूप में काम में आता रहा हैं। लेकिन दीगर खातेदार अप्रार्थी से साजकर ग्राम बम्बौरियों की ढाणी तक आने जाने के रास्ते को बन्द करने पर आमादा हैं। दिनांक 20/09/2020 को अप्रार्थी व उसके कारकुनान मौके पर वादग्रस्त आराजीयात पर आये एवं रास्ते की नाप चौक करने लगे, जब प्रार्थी ने इसका कारण पूछा तो अप्रार्थी व उनके कारकुनानों ने कहा कि उक्त रास्ता जो पूर्व में 30 फीट चौडाई रखते हुये तरमीम करवायी थी, उसको निरस्त करवाकर उक्त रास्ते की चौडाई 8 फीट करवायेंगे, जिससे उक्त भूमि में से मौके पर एवं राजस्व रिकार्ड में से रास्ता बन्द किया जावेगा, जिससे आम जनता बम्बौरियेां की ढाणी के हितों की रक्षार्थ यह प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत बस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना लाजिमी हुआ हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि ''अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजी वर्णित प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या 2 में मौके पर नेशनल हाईवे नम्बर 8 से बम्बौरियों की ढाणी जाने के लिये सहमति से जो रास्ता रखा गया है, उसकी चौडाई कम नही करें, न उसको किसी प्रकार से बन्द नही करें न राजस्व रिकार्ड में कोई फेरबदल करें

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक), दूदू

न प्रार्थी व अन्य खातेदारान तथा आम जनता को आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न स्वंय करें न किसी नौकर, चाकर, एजेन्ट व अपने सहयोगी व्यक्तियों से करावें। इस हेतु पालनार्थ तहसीलदार/सबरजिस्ट्रार जी मौजमाबाद को लिखा जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 7 व 9 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 5, 6, 8, 10, 11 बावजूद तामिल माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 12 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 व 7 व 9 की [redacted] प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 व 7 व 9 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी तथा अप्रार्थी संख्या 7 व 9 द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u>– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 184 पेश की है, जिसके अनुसार प्रार्थी उक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अन्य जमाबन्दीयात पेश की है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होना पाये जाते हैं, अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह पाया जाता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की जो आराजीयात है, वह मूल खसरा नम्बर 74 से ही टुटकर अलग–अलग खसरा नम्बरान बनना पाये जाते हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य मुख्य विवाद आवागमन के रास्ते की तरमीम को लेकर पाया जाता हैं, चूकि मौके पर रास्ता किस जगह स्थित है? रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है या नही? दर्ज है, तो सभी खातेदारान की सहमति से विभाजन होकर रास्ता बना या नही ? आदि तथ्यों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर हो सकेगा, लेकिन चूकि विवादित आराजीयात पक्षकारान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिससे वे आराजीयात का दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरण कर सकते है, जिससे प्रकरण में और

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) चूरू

पेचीदगीयां पढेगी तथा आवागमन बाधित हो सकता है, जो न्याय संगत नही होगा, इसलिये प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। इस प्रकार प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रबल पाया जाता हैं।

<u>सुविधा का सन्तुलन</u> – यह कि रास्ते को लेकर विवाद पाया जाता है तथा प्रकरण में अभी पुरी स्थिति भी स्पष्ट नही हो पायी है, वास्तविक स्थिति मूल वाद के निस्तारण पर तय हो पायेगी, आवागमन बाधित होने की स्थिति में प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

<u>अपूर्तनीय क्षति</u> – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बनना पाये जाते है, इसलिये यदि अप्रार्थीगण को यदि पाबन्द नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी।

इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है, जिसको प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभय पक्षों को ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 74 तथा इसी खसरा नम्बर 74 से टुटकर बने अन्य सभी बट्टा नम्बरान वाके ग्राम कडवो का बास, तहसील मौजमाबाद के मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 01/03/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)